

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-02/2020/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 14/04/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 11.534 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115- 815/557, दिनांक 29.02.2020 ।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 A में भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग- 4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. a (ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्रामसभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।

भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F 11-9/98-FC(pt), दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।

3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें।

4. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमंडल में अलग-अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 11.534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :-

1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है ।
 2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा ।
 3. धमतरी वनमंडल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिंदु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विषयांकित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तुत करें।
 5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है।
- 2/- कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

रिजिस्ट्रार
(के.पी.राजपूत) 15.4.2020
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 15/04/2020

पृष्ठांकमांक एफ-5-02/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

रिजिस्ट्रार
अवर सचिव 15.4.2020
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

01